अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 31/2016-सीमाशुल्क (एनटी)

सा.का.नि. (अ.) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 81 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क बैगेज घोषणा विनियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क बैगेज घोषणा (संशोधन) विनियम, 2016 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2016 को प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमाशुल्क बैगेज घोषणा विनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 3 में "सभी यात्री जो भारत आते हैं" शब्दों के स्थान पर "सभी यात्री जो भारत आते हैं और जिनके पास घोषणा करने के लिए कोई चीज है या जो शुल्कय या प्रतिशित माल ला रहे हैं" शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त विनियमों में, प्ररूप 1 में,--

(क) क्रम सं. 10 में, मद (9) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"(10) ड्रोन हां/नहीं";

(ख) सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :--

"सीमाशुल्क मुक्त मोक"

पात्र यात्री	***मूल देश***	***शुल्क मुक्त मोक***
(1)	(2)	(3)
भारतीय मूल का यात्री और विदेशी, जो भारत में निवास कर रहे हैं जिसमें शिशु नहीं हैं *विदेशी मूल के पर्यटक, जिसमें शिशु नहीं है*	*नेपाल, भूटान, म्यंमार से भिन्न*	*50, 000/- रुपए* *15,000/- रुपए*
भारतीय मूल का यात्री और विदेशी, जो भारत में निवास कर रहे हैं जिसमें शिशु नहीं हैं	*नेपाल, भूटान, म्यंमार*	*वायु मार्ग द्वारा 15,000/- रुपए*

विदेशी मूल के पर्यटक, जिसमें शिशु नहीं है		*भूमि द्वारा–कुछ नहीं*
भारतीय यात्री, जो एक वर्ष से अधिक से विदेश में रह रहे हैं	*कोई भी स्थान*	*सोन के आभूषण:* *भद्रपुरुष– 50,000/--* *रुपए की मूल्य की ऊपरी सीमा सहित 20 ग्राम* *महिला– 1,00,000/--* *रुपए की मूल्य की ऊपरी सीमा सहित 40 ग्राम*
सभी यात्री	*कोई भी स्थान*	*एल्कोहल शराब या मदिरा दो लीटर*
सभी यात्री	*कोई भी स्थान*	*सिगरेट: 200 या सिगार 50 तक या तंबाकू 250 ग्राम*
18 वर्ष से अधिक आयु के यात्री	*कोई भी स्थान*	*एक लैपटाप कंप्यूटर (नोट बुक कंप्यूटर)*

[फा.सं. 334/ / 2016-टीआरयू]

(जेड.आर. कामिली)
निदेशक (उत्पाद-शुल्क)

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 90/2013-उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 29 अगस्त, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 584(अ), तारीख 29 अगस्त, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 10/2014- उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 10 फरवरी, 2014 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 82(अ), तारीख 10 फरवरी, 2014 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।